[2023] 3 S.C.R. 790

वीरेन्द्रसिंह

बनाम

अतिरिक्त आयुक्त और अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 1715 / 2023)

17 अप्रैल , 2023

[संजय किशन कौल, अहसानुद्दीन अमानुल्ला

और अरविंद कुमार, न्यायमूर्तिगण]

महाराष्ट्र ज़िला परिषद और पंचायत समितियों कानून, 1961: धारा 16(1)(i), 40 - अयोग्यता - अपीलकर्ता को ज़िला परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया - प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा धारा 40 और 16(1)(i) के तहत आवेदन करने के बाद, दावा किया गया कि अपीलकर्ता ने अपने चुने जाने वाले पद का दुरुपयोग करके अनुचित वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए किया था, जिसके फलस्वरूप परियोजना के लिए ई-टेंडर जारी किया गया था, कार्यान्वयन कार्य अपीलकर्ता के पुत्र के पक्ष में जारी किया गया था - महाभियोगिय आयुक्त द्वारा आवेदन को मंजूरी दी गई - उच्च न्यायालय द्वारा इसके खिलाफ लिखित प्रतिष्ठापन खारिज किया गया - अपील करने पर यह निर्णय दिया गया कि अयोग्यता के प्रावधानों का स्वास्थ्यकारक उद्देश्य नगर पालिका की प्रशासन में पवित्रता सुनिश्चित करना था - तथ्यों पर, यह भी नहीं था कि अपीलकर्ता के पुत्र को किसी मौजूदा संविदानिक कार्य की प्रवृत्ति थी - इसके बाद ही अपीलकर्ता के चुनाव के तुरंत बाद ही उसके पुत्र को एक ठेकेदार के रूप में पंजीकृत किया गया था - उसे वहाँ सिर्फ उस प्रक्रिया की प्रतिपुष्टि हुई जिसमें ग्राम पंचायत से जिला परिषद के धन जाते थे, जिसमें अपीलकर्ता सदस्य थे - इसके अतिरिक्त, ज़िला परिषद द्वारा कार्यादेश की जारी करने से खुद यह प्रदर्शित होता है कि ज़िला परिषद का संविधानिक और मान्यता प्रदान करने वाला भूमिका है, जो S. 16(1)(i) के विस्तृत क्षेत्र में आता है - ऐसे वित्तीय लेन-देन में प्रामाणिकता को अपवाद की तरह नहीं बल्कि नियम के रूप में देखा जाना चाहिए - अपीलकर्ता को एक पिता के रूप में यह सुनिश्चित करने की अधिक जिम्मेदारी थी कि उसका बेटा ज़िला परिषद द्वारा स्वीकृत संविधान में प्रवेश नहीं करे - उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को मान्यता दी जाती है - परिणामस्वरूप अयोग्यता निर्णय की तारीख से प्रभावी होगी।

अपील को खारिज करते हुए, अदालत..

अभिनिर्धारित किया: 1.1 महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समितियों अधिनियम, 1961 का उद्देश्य स्थानीय स्व-प्रशासन और मौलिक स्तर पर प्रशासन की स्थापना करना है, और जिला परिषद को राज्य सरकार के कार्यों और विकास योजनाओं का कार्यान्वयन सौंपना है। इस संदर्भ में ही उक्त अधिनियम निर्वाचित प्रतिनिधियों की अयोग्यता की प्रावधान करता है। जब बड़ी वित्तीय जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, तो संहिता स्थानीय ठेकेदारी में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने और निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अत्यधिक प्रभाव

डालने की संभावना को दूर करने के लिए एक संतुलन बनाए रखता है। यह निस्संदेह रूप से सच है कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को अयोग्य नहीं किया जाना चाहिए तुच्छ आधारों पर। हालांकि, सांविधिक आदेश भी समान रूप से बाध्यकारी है, जिससे जो गतिविधियाँ पारदर्शिता के उद्देश्य को हराने की प्रवृत्ति दिखाती हैं, उन्हें प्रबलित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। [अनुच्छेद 15]"

1.2 विधायिका ने अपने बुद्धिमत्ता में कानून के धारा 16(1)(i) के तहत अयोग्यता के लिए विस्तारपूर्ण शब्दों में कारणों को परिभाषित किया है। इस प्रकार, 'सीधे या परोक्ष' के शब्दों का उपयोग किया गया है, 'उसके द्वारा या उसके संगी' के शब्दों का उपयोग किया गया है, 'किया गया काम में किसी भी हिस्से या रुचि', 'जिला परिषद के आदेश के आधार पर या किसी ठेके में', और 'जिला परिषद के प्रति या उसकी ओर से'। सभी ऐसी स्थितियाँ शामिल की गई थी जहाँ परिषद सदस्य का वित्तीय संबंध हो सकता है, जिला परिषद के काम के साथ, जिसका उद्देश्य चुने गए प्रतिनिधियों के लिए गुणकारी होने वाले वित्तीय प्रायवधान के अभ्यास को निरोधित करना था। [अनुच्छेद 16]

1.3. यह भी एक स्थिति नहीं थी जिसमें अपीलकर्ता के पुत्र को किसी मौजूदा संविदानिक कार्य का परिचालन कर रहा था। अपीलकर्ता के चुनाव के बाद ही उनके पुत्र को ठेकेदार के रूप में पंजीकृत किया गया था। उसके पास उस क्षेत्र में या अन्यथा कोई अन्य संविदानिक कार्य नहीं था। उसे केवल वही ठेका मिला था जिसमें धन ग्राम पंचायत के पास जिला परिषद के द्वारा बहाया गया था, जिसके अपीलकर्ता सदस्य थे। अपीलकर्ता ने इस स्थिति को इस प्रकार से उचित करने का प्रयास किया कि उनके पुत्र को उनके चुनाव के बाद ही ठेकेदार के रूप में पंजीकृत किया गया क्योंकि उसने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी। इस तथ्य से अपीलकर्ता के अपने पुत्र के व्यापार में उनकी रुचि के बारे में अधिक संदेह उत्पन्न होते हैं। [अनुच्छेद 20]

1.4. जिला परिषद, धुले ने 09.06.2020 को आरावे ग्राम पंचायत को सड़कों की मरम्मत के लिए काम आदेश जारी किया। इस दस्तावेज़ और जिला परिषद की प्रतिक्रिया से पता चलता है कि धन राज्य सरकार से जिला परिषद के पास और फिर ग्राम पंचायत के पास बहते थे। यह अपीलकर्ता द्वारा 26.01.2020 के प्रस्ताव का अनुवाद किये जाने के बावजूद है, जिससे यह प्रतित होता है जैसे ग्राम पंचायत परियोजना पर अपने खुद के धन का खर्च करने को तैयार थी। किसी भी स्थिति में, इस अनुवाद को प्रतिवादि संख्या 3 द्वारा गंभीर रूप से विवादित किया गया है। 9.06.2020 को जिला परिषद द्वारा कार्यादेश की जारी करने से यह स्पष्ट होता है कि जिला परिषद का संविधान में पर्यवेक्षण और अनुमोदन करने वाला भूमिका है, जो उक्त अधिनियम के धारा 16(1)(i) के विस्तृत क्षेत्र में आता है। [अनुच्छेद 21]

1.5. ऐसे वित्तीय लेन-देन में प्रामाणिकता को अपवाद की तरह नहीं बल्कि नियम के रूप में देखा जाना चाहिए। अपीलकर्ता को एक पिता के रूप में यह सुनिश्चित करने की अधिक जिम्मेदारी थी कि उसका बेटा ज़िला परिषद द्वारा स्वीकृत संविधान में प्रवेश नहीं करे। नीचली अदालतों द्वारा तथ्य की खोज में यह पाया गया कि रेकॉर्ड पर इस बात को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं रखा गया था कि बेटे और पिता के बीच निवास का अलगवाद है, जो बस एक राशन कार्ड के रूप में है जो दिखाता है कि बेटा अपनी दादी के साथ रह रहा

था। यह न तो यहां था और न ही वहां, खासकर जब बेटा ने अभी ही अपनी शिक्षा पूरी की थी [अनुच्छेद 22]

1.6. अपीलकर्ता को अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए थे। विचारन में स्थगन की मांग का कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं हो सकता, विशेष रूप से जब प्रभागीय आयुक्त को प्रतिवादि संख्या 3 के आवेदन से नवासी दिनों के भीतर अपीलकर्ता की अयोग्यता का मुद्दा तय करने का आदेश था, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 40(2) में बताया गया है। प्रभागीय आयुक्त इसलिए सही रूप से अपीलकर्ता के लिखित प्रस्तुतियों को उसकी सभी रक्षा के रूप में माना। [अनुच्छेद 23]

17. परिणामस्वरूप अयोग्यता निर्णय निर्णय की तारीख से प्रभावित होगी। [अनुच्छेद 24]"

धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड बनाम उप महाकर आयुक्त, गौहाटी और अन्य **(2015) 8 SCC 519: [2015] 6 SCR 437;** *गुलाम यासीन खान बनाम श्री साहेबराव यशवंतराव वालसकर और अन्य* **AIR 1966 SC 1339: [1966] SCR 339;** *रवि यशवंत भोईर बनाम जिला कलेक्टर, रायगढ़ और अन्य* **(2012) 4 SCC 407: [2012] 3 SCR 775;** *जेलिया एम. ज़ेलिया फर्नांडेस ई. गोंसल्वेस बनाम जोआना रोड्रिगेस और अन्य* **(2012) 3 SCC 188: [2012] 3 SCR 258 - इस पर संदर्भित किया गया।**

मामला कानूनी संदर्भ

[2015] 6 SCR 437	**अनुच्छेद 7 में**	**संदर्भित किया गया।**
[1966] SCR 339	**अनुच्छेद 10 में**	**संदर्भित किया गया।**
[2012] 3 SCR 775	**अनुच्छेद 11 में**	**संदर्भित किया गया।**
[2012] 3 SCR 258	**अनुच्छेद 14 में**	**संदर्भित किया गया।**

सिविल अपील अधिकर्ण: सिविल अपील संख्या 1715 / 2023

बम्बई उच्च न्यायालय के आउरंगाबाद में WP संख्या 12526 / 2021 के 17.11.2021 के न्याय और आदेश से।

सुधांशु एस. चौधरी, मिस अमरजीतसिंह गिरासे, महेश पी. शिंदे, मिस रुचा ए. पांडे, एम. वीररागवन, प्रतिवादि के लिए वकील।

न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय

संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति

<u>तथ्यात्मक परिप्रेक्ष्य:</u>

1. अपीलकर्ता को 08.01.2020 को जिला परिषद, चिंथणे ब्लॉक, तालुका शिंदखेड़ा, जिला धुले के सदस्य के रूप में चुना गया था, जो एक मान्य पार्टी के उम्मीदवार के रूप में थे। हालांकि, उन्हें 08.11.2021 को प्रभागीय आयुक्त, नासिक द्वारा जारी आदेश से इस पद से अयोग्य कर दिया गया था, जो किसी ऐसी प्रार्थना में आया जिसे उत्तरदायी संख्या 3 ने दर्ज किया था, जो जिला परिषद चुनाव में हार गए थे।

2. प्रतिवादि संख्या 3 ने महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समितियों अधिनियम,1961 (जिसे आगे 'उक्त अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 40 और 16(i) के तहत उक्त याचिका दाखिल की थी। प्रतिवादि संख्या 3 ने अपीलकर्ता की अयोग्यता का दावा किया कि अपीलकर्ता ने अपने चुने गए पद का दुरुपयोग करके अनुचित व्यक्तिगत वित्तीय लाभ प्राप्त करने का उद्देश्य रखा था। इस वित्तीय लाभ 26.01.2020 की एक प्रस्ताव को पारित करने में अपीलकर्ता द्वारा जारी किया गया भूमिका के कारण प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा आरावे ग्राम पंचायत ने आरावे फाटा से मौजे आरावे तक की सड़क की मरम्मत और टार करने की स्वीकृति दी। उसके बाद, जिसका सदस्य अपीलकर्ता था, जिला परिषद, धुले ने 05.06.2020 को परियोजना को प्रशासनिक स्वीकृति दी। इस स्वीकृति आदेश में दर्ज है कि जिला परिषद, धुले ने उक्त अधिनियम की धारा 125 के तहत जिला परिषद की शक्तियों का उपयोग करके परियोजना को रू. 15 लाख की लागत पर स्वीकृति दी थी।

3. प्रमाणन के अनुसार, आरावे ग्राम पंचायत ने 29.06.2020 को एक ई-टेंडर को जारी किया। अपीलकर्ता के पुत्र ने आवेदन किया और दो अन्य आवेदकों के खिलाफ निर्धारण प्रक्रिया में सफल रहे। इसके बाद, आरावे ग्राम पंचायत ने उसे 21.07.2020 को मौजे आरावे में सड़क की मरम्मत के लिए काम आदेश जारी किया, जिसके लिए 14,62,871 रुपए की राशि थी।

4. उकेरे गए परिप्रेक्ष्य में, प्रतिस्पर्धी संख्या 3 ने दावा किया कि अपीलकर्ता ने अपने चुने गए पद का दुरुपयोग किया और उसे अयोग्य होने का जिम्मेदार है। इस आवेदन को धारा 16(1)(i) के साथ पठन 40 के तहत दर्ज किया गया था। संदर्भ के लिए, नियमों को यहां पुनः प्रकट किया जाता है:"

> **16. अयोग्यता** - (1) उप-अनुभाग (2) की प्रावधानिकता के अधीन, एक व्यक्ति चयन के लिए और एक सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य होगा -
>
> ....
>
> (i) अगर वह सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं या अपने साथी के द्वारा जिला परिषद के आदेशानुसार किसी कार्य में या जिला परिषद के साथ, द्वारा या उसकी ओर से किसी संविधान में किसी भी हिस्से या हित में रुचि रखता है;"

"40. (1) धारा 62 के उप-अनुभाग (2) की प्रावधानिकता के अधीन, यदि किसी सदस्य ने अपने कार्यकाल के दौरान -"

xxxx xxxx xxxx xxxx

(2) अगर इस अनुभाग के तहत रिक्ति उत्पन्न हुई है या नहीं, इस प्रश्न पर आयुक्त अपने मोताबिक या इस संदर्भ में किसी व्यक्ति द्वारा उसे किए गए आवेदन पर चर्चा होती है, तो आयुक्त इस प्रश्न का निर्णय [जितना संभव हो] ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से निन्यानवे दिनों के भीतर करेगा; और उसका निर्णय इस पर अंतिम होगा। जब तक आयुक्त निर्णय नहीं करता कमीशनर तक पहुंचने की तारीख से पहुंचने की तारीख से पहुंचने की तारीख तक यदि कमीशनर ने निर्णय नहीं लिया है कि रिक्ति हो गई है, तो सदस्य को सदस्य बने रहने में अक्षम नहीं किया जाएगा:

प्रावधान किया गया है कि, किसी भी सदस्य के खिलाफ कोई निर्णय नहीं दिया जाएगा बिना उसे सुनने के लिए उन्हें तर्कसंगत अवसर देने के बिना।]"

5. विभागीय आयुक्त ने दिसंबर 08, 2021 के आदेश के अनुसार प्रतिवादि संख्या 3 के आवेदन को अयोग्यता अपील संख्या 01 के 2021 में दी है। विभागीय आयुक्त ने नोट किया कि क्योंकि आरावे ग्राम पंचायत चिंथणे ब्लॉक में था, जो जिला परिषद, धुले के पर्याप्त हिस्से में आता था, इससे यह स्पष्ट था कि अपीलकर्ता उस पर प्रभाव डाल सकते थे। यह भी देखा गया कि अपीलकर्ता के बेटे को धुले जिला परिषद के अन्य खंडों से कार्यादेश प्राप्त होने का कोई सबूत नहीं था, और इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 16(1)(i) के अंतर्गत अपीलकर्ता को अयोग्य ठहराने के लिए प्राथमिकता पूर्वक दुरुपयोग का निष्कर्ष था। इस चरण पर, यह भी ध्यान में रखा जा सकता है कि प्रभागीय आयुक्त का आदेश अपीलकर्ता के लिखित बयान को उसके तर्क के रूप में मानते हुए पारित किया गया था, क्योंकि मामला पहले ही अपीलकर्ता की अनुरोध पर कई बार स्थगित किया जा चुका था।

6.. अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के सामने याचिका पत्र के माध्यम से अपने अयोग्यता की चुनौती दी, जिसका संख्या है याचिका पत्र संख्या 12526/2021। उच्च न्यायालय के सामने उनकी प्रस्तुतियाँ निम्नलिखित रूप में स्पष्ट की जा सकती हैं:

(a) अधिनियम मामले में लागू नहीं होगा क्योंकि सड़क मरम्मत काम ग्राम पंचायत के निर्देशन में किया जा रहा था, जिसे एक विभिन्न अधिनियम के तहत नियमित किया जाता है, अर्थात् महाराष्ट्र ग्राम पंचायतों का अधिनियम, 1959 (इसे इसके बाद '*जी.पी. अधिनियम*' के रूप में संदर्भित किया जाता है);"

(b) मान लीजिए कि उस अधिनियम की प्रासंगिकता हो, धारा 16(1)(i) की भाषा सूचित करती है कि अयोग्यता केवल तभी हो सकती है जब कार्य जिला परिषद द्वारा स्वयं किया गया हो। हालांकि, वर्तमान तथ्य-परिदृश्य में जिला परिषद ने केवल पर्यवेक्षणात्मक भूमिका निभाई है।

(c) अपीलकर्ता के बेटे के वित्तीय मामलों में उनका कोई 'हिस्सा' नहीं था क्योंकि उसके बेटे के पास एक स्वतंत्र व्यापार था और उन दोनों का आपसी निवास भी नहीं था;"

(d) अयोग्यता के आदेश ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया क्योंकि अपीलकर्ता को डिवीजनल कमीशनर द्वारा सुना जाने का मौका नहीं दिया गया था।"

7. उपर्युक्त तर्क हालांकि उच्च न्यायालय द्वारा 17.11.2021 के विवादित निर्णय के अनुसार खारिज किए गए थे। निष्कर्ष निम्नलिखित पायों पर आधारित था:

A. उस अधिनियम की धारा (16)(1)(i) व्यापक रूप से शब्दित की गई थी। इसमें केवल यह नहीं हुक्म दिया गया था कि पार्षद को जिला परिषद के किसी भी कार्य में कोई हित नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे पार्षद को जिला परिषद के आदेश द्वारा किए गए कार्य में भी कोई हित नहीं होना चाहिए। वर्तमान तथ्य-परिदृश्य में, कार्य 'आदेशित' किया गया था जिला परिषद द्वारा, जो प्रावधान को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त होता। जिला परिषद ने उप-अभियंता, जिला परिषद के पर्यवेक्षण में सड़क मरम्मत कार्य को करने के लिए ग्राम पंचायत को 09.06.2020 की तारीख के आदेश द्वारा निर्देशित किया था। कार्यकारी अभियंता, जिला परिषद के 28.10.2021 की संवाद ने भी बताया कि सड़क का विकास जिला परिषद के आदेश के अनुसार हो रहा था, जो धन की वितरण वाला एजेंसी भी था।

B. जिलाधिकारी ने यह एक समर्थनीय निष्कर्ष तक पहुँचा क्या अपीलकर्ता और उसके बेटे एक साथ रहते थे। अपीलकर्ता का केवल सबूत एक राशन कार्ड था जिसमें दिखाया गया कि उसका बेटा अपनी दादी के साथ रहता था। हालांकि, यह इसके बारे में निष्कर्ष सबूत नहीं था कि बेटे की वित्तीय स्वतंत्रता है। हर दोनों मामले में कहा गया कि ये तथ्य वास्तव में अदालत के रिट अधिकार की दृष्टि में नहीं हो सकते।

C. अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सभी प्रासंगिक तथ्य पहले से ही प्रदेशीय आयुक्त के सामने थे। इस कानूनी निष्कर्ष पर पहुँचाया गया था इस अदालत के फैसले के आधार पर, *धरमपाल सत्यपाल लिमिटेड बनाम उप-आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, गुवाहाटी और अन्य* [1] में, जहां यह माना गया था कि सुनवाई की आवश्यकता नहीं होती जब यह केवल एक अनुष्ठानिकता होती है और अधिकारिक अंतिम निष्कर्ष पर कोई प्रभाव नहीं होता। इससे ज्यादा, प्रदेशीय आयुक्त ने अपीलकर्ता के अनुरोध पर कई बार मामले को स्थगित किया था। 08.10.2021 को, जब अपीलकर्ता फिर समय मांगने के लिए वकील की बीमारी का कारण बताया, हालांकि अपीलकर्ता स्वयं शारीरिक रूप से उपस्थित था, प्रदेशीय आयुक्त ने यह निष्कर्ष पर पहुंचाया था कि अपीलकर्ता को कई अवसर प्रदान किए गए थे और इसलिए उसके लिखित बयान को उसकी प्रस्तुतियों के रूप में माना जाना चाहिए। प्रदेशीय आयुक्त ने 01.11.2021 की विस्तृत आदेश के माध्यम से अपीलकर्ता के मौखिक सुनवाई के लिए अलग आवेदन को भी खारिज किया था, और इसे अपीलकर्ता द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी।

<u>हमारे सामने अपीलकर्ता का मुकदमा:</u>

8. अपीलकर्ता का प्रमुख दावा था कि उसके बेटे को ग्राम पंचायत आरवे द्वारा काम दिया गया था और उसे जिला परिषद धुले द्वारा नहीं। आवंटन एक ई-टेंडरिंग प्रक्रिया के माध्यम से की गई थी जो महाराष्ट्र सरकार की वेब पोर्टल पर प्रकाशित की गई थी। काम के लिए भुगतान भी ग्राम पंचायत ने किया था, हालांकि

इसे सौजन्यिक रूप से जिला परिषद द्वारा स्वीकृत किया गया था। काम का आदेश दिनांक 20.07.2020 को ग्राम पंचायत के मोहर के साथ था, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 243(G) के साथ अनुच्छेद 11 की 13 वीं इन्ट्री के तहत उन्हें प्राधिकृति प्राप्त थी"।

9. अपीलकर्ता ने यह दावा किया कि जिला परिषद ने केवल उपबंधन के तौर पर विभाग 100, 100(2) और 125 के तहत उपबंधन दिया था। जिला परिषद को उसके बेटे द्वारा निर्वाहित काम के लिए सीधा भुगतान नहीं किया गया था। इस संबंध में, हमारे सामने प्रतिवादी संख्या 3 के काउंटर अफिडेविट पर भरोसा किया गया था।"

10. दूसरा, इसका दावा किया गया कि अपीलकर्ता को अपने बेटे के व्यापार में कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं थी और उन्होंने साथ में नहीं रहा। इस संदर्भ में, ***गुलाम यासीन खान बनाम श्री साहेबराव यशवंतराव वालस्कर और अन्य.***[2] की ओर इशारा किया गया, जहां इस न्यायालय ने यह देखा कि एक निर्वाचनीय उम्मीदवार के साथ केवल म्युनिसिपल कमिटी के कर्मचारी के संबंध से उम्मीदवार को निर्वाचन में खड़े होने से नहीं बाहर किया जा सकता है।"

11. तीसरा, यह दावा किया गया कि प्रभागीय आयुक्त ने अपीलकर्ता को अयोग्य ठहराने के दौरान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया था। कहा गया कि एक चुने गए प्रतिनिधि को उसके पद से साधारण तरीके से हटाया नहीं जा सकता है और उसके द्वारा किए गए अनुमानित दुराचार की जांच के बिना, जैसा कि इस महकमे ने ***रवि यशवन्त भोईर बनाम जिला कलेक्टर, रायगढ़ एवं अन्य.*** [3] में कहा था। प्रदेशीय आयुक्त के सामने हुई कार्रवाई में, अपीलकर्ता ने उस दिन के लिए समय की मांग की थी क्योंकि उनके वकील बीमार थे, लेकिन उस अनुरोध को अत्यंत अतर्कसंगत रूप से खारिज कर दिया गया था।

<u>प्रतिवादी संख्या 3 का अपीलकर्ता के दावे के खिलाफ विरोध:</u>

12. प्रतिवादी संख्या 3 के विधिवेत्ता ने उस अधिनियम की धारा 16 के उद्देश्य पर जोर देने का प्रयास किया, अर्थात, जिला परिषदों की कार्यवाही में प्रामाणिकता लाने के लिए। इस पृष्ठभूमि के साथ, यह आग्रह किया गया कि उस अधिनियम की धारा 16(1) की उप-धारा (i) ऐसे व्यापक परिप्रेक्ष्य में शब्दित की गई थी ताकि यह तीन श्रेणियों को समाहित कर सके, अर्थात, कार्य (a) जिला परिषद के आदेश द्वारा; (b) जिला परिषद के साथ किसी समझौते में; या (c) जिला परिषद द्वारा या उसकी ओर से।

"वर्तमान मामले में, काम जिला परिषद के आदेश के द्वारा किया गया था, और भुगतान भी जिला परिषद के माध्यम से किया गया था। इसलिए यह दावा किया गया कि तथ्य खुद को 16(1)(i) की धारा के व्यापक दायरे में गिरते हैं और असक्षमता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है।"

13. दिए गए तथ्यगत परिप्रेक्ष्य में, यह भी दावा किया गया कि अपीलकर्ता का चयन जनवरी 2020 में हुआ था, जबकि उसका बेटा 20.02.2020 को जिला परिषद, धुले के साथ ठेकेदार के रूप में पंजीकृत हुआ था। अपीलकर्ता के बेटे को दिया गया ठेका वास्तव में प्रॉक्सी लाभ की प्रकृति का था। यहां, हम यह भी दर्ज कर सकते हैं कि ग्राम पंचायत के संकल्प तिथि 26.01.2020 के अनुवादित संस्करण के चार कोनों में से

एक का अंश भी विवाद है। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत अनुवाद में यह भी कहा गया है कि "इसके साथ ही, जब उस काम को मंजूर किया जाएगा और जब वह काम पूरा हो जाएगा, तो ग्राम पंचायत तय कर चुकी है और तैयार है कि उस काम की निगरानी और मरम्मत के लिए लागू किए गए खर्चों का भुगतान करेगी, ऐसा संकल्प सर्वसम्म मनोनीत हुआ था।" [sic]। प्रतिवादी संख्या 3 का दावा था कि इस भाग का मूल संकल्प में मौजूद नहीं था। इसके बावजूद, किसी भी स्थिति में यह तथ्य रहता है कि धन राज्य सरकार से ग्राम पंचायत के पास पहुंचते थे, जो फिर से उन्हें जिला परिषद से प्राप्त करती थी। इसकी खिलाफी दावा भी जिला परिषद द्वारा उसके संवाद बयान में किया गया था।"

"14. प्रतिवादी संख्या 3 ने ***ज़ेलिया एम. जेवियर फर्नांडीस ई. गोंसाल्वेस बनाम जोआना रोड्रिग्स और अन्य.4*** के फैसले पर निर्भर किया। यहां, इस मामले में इस महकमे ने ***गुलाम यासीन मामले*** [5] को विभाजित किया क्योंकि यह समझाया था कि यह स्थानीय स्व-सरकार के सदस्य की अंतर्निहित या परोपकारी लाभ के कारण अयोग्यता के मामले से संबंधित नहीं था। इस दावे किया गया कि ***ज़ेलिया एम. जेवियर के 6*** मामले का अधिक महत्व था क्योंकि इसमें 1994 के गोवा पंचायत राज अधिनियम की धारा 10 का सामान्य तरीके से मुकाबला कर रहा था, जो कि सामान्य रूप से कहीं न कही उपर्युक्त अधिनियम की धारा 16(1)(i) के समानांतर होती है।"

<u>हमारी दृष्टि:</u>

15. हमें उस अधिनियम के उद्देश्य से शुरुआत करनी चाहिए; जिसका उद्देश्य स्थानीय स्व-शासन और मूल स्तर पर प्रशासन को परिचय करवाना, और जिला परिषद को राज्य सरकार के कार्य और विकास योजनाओं का कार्यान्वयन सौंपना है। इस दृष्टिकोण में ही उस अधिनियम में चुने गए प्रतिनिधियों की अयोग्यता का प्रावधान किया गया है। बड़ी वित्तीय जिम्मेदारियों के साथ सम्मानित होते हुए, अधिनियम स्थानीय अनुबंधों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और चुने गए प्रतिनिधियों के अधिक प्रभाव की संभावना को दूर करने के लिए एक जाँच और संतुलन का प्रणाली बनाए रखता है। यह संदेह रहित है कि चुने गए प्रतिनिधियों को तुच्छ आधारों पर अयोग्य नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, हम कानूनी आदेश द्वारा भी बंधे हुए हैं, जिसमें गतिविधियां जो पारदर्शिता के उद्देश्य को पराजित करती हैं, उन्हें प्रबलित होने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

16. विधायिका ने अपनी बुद्धिमत्ता में अधिनियम की धारा 16(1)(i) के तहत अयोग्यता के आधार को व्यापक शब्दों में परिभाषित किया है। इस प्रकार, शब्दावली का उपयोग - 'सीधे या परोक्ष रूप से', 'स्वयं या अपने साथी द्वारा', 'किसी काम में किसी हिस्सा या हित होना', 'जिला परिषद के आदेश द्वारा या उसके साथ किसी समझौते में', और 'जिला परिषद द्वारा या उसकी ओर से'। सभी ऐसी संभावनाएँ जहां पार्षद को कहा जा सकता है कि जिला परिषद के कार्य से किसी वित्तीय संबंध में है, उसे शामिल करने की कोशिश की गई थी, जिसका उद्देश्य वित्तीय पत्रों के प्रचार को बढ़ावा देने का था जो चुने गए प्रतिनिधियों के लिए स्वाभाविक रूप से लाभकारी है।

17. अब अगर हम लागू पूर्ववर्ती की ओर मोड़ते हैं, तो इस अदालत ने जेलिया एम. ज़ेवियर के मामले में गुलाम यासीन7 के मामले की प्रासंगिकता को अलग किया था। इसे माना गया कि गुलाम यासीन में, इस अदालत ने तय किया था कि अयोग्यता को आमंत्रित करने के लिए, किसी समझौते में किसी भी हित या हिस्सा होना चाहिए, और नगर समिति के कर्मचारी और चुनावी प्रत्याशी के बीच एक मात्र संबंध से अयोग्यता को आमंत्रित नहीं किया जाएगा।

18. हमारी राय में, इन दोनों मामलों की स्थिति हमारे सामने आने वाली तथ्य परिदृश्य की तुलना में अलग है। गुलाम यासीन8 को मध्य प्रदेश और बेरार नगरपालिका अधिनियम, 1922 की धारा 15(1) की व्याख्या से संबंधित था, जिसने उसे अयोग्य ठहराया था अगर उसमें 'एक हित' होता, नगर समिति में। इसके अलावा, अदालत के साथ वजन देने वाला एक और कारक था कि उस मामले में अपीलकर्ता मोहम्मदी कानून के अधीन था, और इस प्रकार वह और उसका बेटा कहा नहीं जा सकता था कि वे एक अविभाजित परिवार के सदस्य थे जिसमें सामान्य 'वित्तीय हित' थे। वहीं, जेलिया एम. ज़ेवियर9 में, इस अदालत ने एक परिस्थिति की समीक्षा की थी जहाँ अपीलकर्ता एक पंचायत सदस्य थी जिसे उसके पति के साथ बाजार शुल्क की वसूली के लिए समझौता करने के कारण अयोग्य ठहराया गया था। अदालत का निर्णय आखिरकार इस तथ्य पर ध्यान केंद्रित किया कि पति और अपीलकर्ता-पत्नी के धन के मामले पुर्तगाली सिविल संहिता, 1860 द्वारा नियंत्रित किए जाते थे, जिसके अनुसार पतियों की संपत्ति विवाह पर मिल जाती। इस प्रकार, यह तय किया गया कि अपीलकर्ता-पत्नी के पास पंचायत के समझौते में वित्तीय हित था, जो उसके पति के साथ था।

19, इन तथ्यिक भिन्नताओं के बावजूद, हम देखते हैं कि उपर्युक्त मामलों से जो सामान्य सिद्धांत बाहर निकाला जा सकता है वह यह है कि इस अदालत ने यह सुनिश्चित करने के लिए योग्यता वंचित करने वाले प्रावधानों की अत्यधिक संकीर्ण या संकुचित ढंग से व्याख्या करने के खिलाफ सतर्क किया था। दोनों मामलों में, इस अदालत ने ध्यान दिया कि ऐसे प्रावधानों का उपयुक्त उद्देश्य नगर समितियों में प्रशासन की शुद्धता सुनिश्चित करना था।

20. जब वर्तमान मामले की तथ्यिक परिस्थिति की ओर मुँह मोड़ते हैं, तो हम देख सकते हैं कि यह भी एक स्थिति नहीं थी जहाँ अपीलकर्ता के बेटे कोई मौजूदा समझौतेदारी कार्य कर रहा था। यह सिर्फ तभी था जब अपीलकर्ता के चुनाव के तुरंत बाद उसके बेटे को ठेकेदार के रूप में पंजीकृत किया गया था। उसके पास उस क्षेत्र में या अन्यत: कोई अन्य समझौता नहीं था। उसे सिर्फ वह समझौता प्रदान किया गया था जहाँ फंड ग्राम पंचायत को जिला परिषद से मिला था, जिसमें अपीलकर्ता सदस्य थे। अपीलकर्ता ने इस स्थिति को यह दावा करके औचित्य देने का प्रयास किया कि अपीलकर्ता के चुनाव के तुरंत बाद उसके बेटे को ठेकेदार के रूप में पंजीकृत किया गया था क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। हमारे विचार में, इस तथ्य से अपीलकर्ता के बेटे के व्यापार में अपीलकर्ता की रुचि के बारे में और भी संदेह उत्थान होता है।

21. जिला परिषद, धुले ने 09.06.2020 को आरावे ग्राम पंचायत को सड़क मरम्मत के लिए एक कार्यादेश जारी किया। इस दस्तावेज़ और जिला परिषद के प्रतिस्पर्धी हलफनामे से पता चलता है कि धन राज्य सरकार से जिला परिषद को और फिर ग्राम पंचायत को गया था। यह उस बावजूद है कि 26.01.2020 के प्रस्ताव का अनुवाद अपीलकर्ता द्वारा पेश किया गया था, जिससे यह प्रतित होता है जैसे ग्राम पंचायत

परियोजना पर अपने खुद के धन का खर्च करने को तैयार थी। किसी भी स्थिति में, इस अनुवाद को प्रतिस्पर्धी संख्या ३ द्वारा गंभीर रूप से विवादित किया गया है। हमारे विचार से, 09.06.2006 को जिला परिषद द्वारा कार्यादेश की जारी करने से जिला परिषद के संविधान में पर्यवेक्षण और अनुमोदन करने वाला भूमिका स्पष्ट होता है, जो उक्त अधिनियम की धारा 16(1)(i) के विस्तृत क्षेत्र में आता है।

22 . हम मानते हैं कि ऐसे वित्तीय लेन-देन में प्रामाणिकता को अपवाद की तरह नहीं बल्कि नियम के रूप में देखा जाना चाहिए। अपीलकर्ता को एक पिता के रूप में यह सुनिश्चित करने की अधिक जिम्मेदारी थी कि उसका बेटा ज़िला परिषद द्वारा स्वीकृत संविधान में प्रवेश नहीं करे। हम ध्यान दिला सकते हैं कि नीचली अदालतों ने तथ्य पाया है कि रेकॉर्ड पर इस बात को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं रखा गया था कि बेटे और पिता के बीच निवास का अलगवाद है, जो बस एक राशन कार्ड के रूप में है जो दिखाता है कि बेटा अपनी दादी के साथ रह रहा था। यह सही रूप से देखा गया था कि यह न तो यहाँ था और न ही वहाँ, खासकर जब बेटा ने अभी ही अपनी शिक्षा पूरी की थी।

23. हम यह भी ध्यान में रख सकते हैं कि अपीलकर्ता को अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए गए थे। विचारन में स्थगन की मांग का कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं हो सकता, विशेष रूप से जब प्रभागीय आयुक्त को प्रतिवादि संख्या 3 के आवेदन से नवासी दिनों के भीतर अपीलकर्ता की अयोग्यता का मुद्दा तय करने का आदेश था, जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 40(2) में बताया गया है। प्रभागीय आयुक्त इसलिए सही रूप से अपीलकर्ता के लिखित प्रस्तुतियों को उसकी सभी रक्षा के रूप में माना।

निष्कर्ष:

24 . उपर्युक्त संदर्भ में, हम इस दृष्टिकोण में हैं कि अपील असफल होनी चाहिए और उसे इसी तरह खारिज किया जाता है। परिणामस्वरूप अयोग्यता निर्णय की तारीख से प्रभावी होगी।

25. अपील को इसी तरह खारिज किया जाता है, पक्षों को उनकी खुद की लागत उठाने के लिए छोड़ते हुए।

निधि जैन अपील खारिज किया जाता है।

[1] (2015) 8 SCC 519
[2] AIR 1966 SC 1339.
[3] (2012) 4 SCC 407.
[4] (2012) 3 SCC 188

रीना पाण्डेय वकील द्वारा अनुवादित